राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ. 6(179)/परि/टैक्स/एचक्यू/95/10 बी जयपुर, दिनांक : 30.4.97

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.6(179)/परि/टैक्स/एचक्यू/95/10, दिनांक 31 मार्च, 1997 (समय–समय पर यथा संशोधित) में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधित करती है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, –

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी में क्र.सं. 1 पर विद्यमान प्रतिष्टियां निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :–

	''माल यान :	
(i)	5000 किग्रा. तक की भार वहन क्षमता	30 दिन या उसके भाग के लिये प्रति 10 किग्रा. भार वहन क्षमता या उसके भाग लिये 90/– रु.
(ii)	5000 किग्रा. के आधिक्य में प्रत्येक 1000 किग्रा. या उसके भाग के लिये 5000 किग्रा. से अधिक भार वहन क्षमता	30 दिनया उसके भाग के लिये ऊ विनिर्दिष्ट दरों पर संदेय रकम के अतिरि प्रति 1000 किग्रा. भार वहन क्षमता या उस भाग के लिये 70/– रु.।''।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव